गुरुग्राम में राजनीतिक विज्ञापनों के लिये समिति की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम ज़िले **में केबल टीवी, समाचार पत्रों और सिनेमा हॉलों में राजनीतिक विज्ञापन अब** मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (Media Certification and Monitoring Committee- MCMC) **की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित नहीं** किये जा सकेंगे।

मुख्य बिंदु:

- **चुनाव अवधि** के दौरान केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को **मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) प्रमाण-पत्र** के बिना कोई भी विज्ञापन प्रसारित करने पर प्रतिबंध है।
- यह घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत की गई।

राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के लिये नियम

- **राज्य मीडिया पर समय का आवंटन:**
  - **वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद** से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान सरकारी टेलीविजन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
  - चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक **मान्यता प्राप्त** राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के लिये समय आवंटन तय करता है।
    - राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम-से-कम 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनलों पर 15 घंटे मिलते हैं। उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर भी 10 घंटे तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर 15 घंटे मिलते हैं।
    - राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों पर न्यूनतम 30 घंटे का प्रसारण मिलता है।
- **भाषण सामग्री पर दिशा-निर्देश:**
  - दलों और वक्ताओं को संबंधित **ऑल इंडिया रेडियो (AIR) एवं दूरदर्शन (DD) प्राधिकारियों** द्वारा अनुमोदन के लिये भाषण की प्रतिलिपि 3-4 दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी।
  - **ECI दिशा-निर्देश निषिध करते हैं:**
    - अन्य देशों की आलोचना;
    - धर्मों या समुदायों पर हमला;
    - अश्लील या अपमानजनक सामग्री;
    - हिंसा भड़काना;
    - न्यायालय की अवमानना;
    - राष्ट्रपति और न्यायपालिका के विरुद्ध आक्षेप;
    - राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात;
    - नाम लेकर किसी व्यक्ति की आलोचना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/committee-approva-for-political-ads-in-gurugram